

बिहार सरकार,
लघु जल संसाधन विभाग।

पत्रांक— 700 (मौ०)

पटना, दिनांक 10/5/2019

प्रेषक,

के० के० पाठक,
प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई प्रमंडल।

विषय— आहर-पईन/ट्यूबवेल, कार्यालय इत्यादि की भूमि से अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में।

महाशय,

आप अवगत हैं कि पिछले 3 माह से लगातार आप लोगों को कहा जा रहा है कि अपने जिले के अधीनस्थ सभी आहर-पईन, ट्यूबवेल एवं कार्यालय की भूमि की मापी कर उसे विभाग को सूचित करें। (दैनिक प्रतिवेदन सं०-6) विभागीय कन्ट्रोल रूम द्वारा आपसे प्रतिदिन आंकड़े लिये जाते हैं।

किन्तु अभी तक यह देखा जा रहा है कि अधिकांश जिलों में अपने अधीनस्थ कार्यालय, आहर-पईन तथा ट्यूबवेल की भूमि को अभी तक सही मापी नहीं की है और न ही यह पता किया है कि कितनी भूमि अथवा जलश्रोतों पर अतिक्रमण हुआ है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा बार-बार आपको निदेशित किया गया है कि अतिक्रमण का पता लगाकर इस सम्बन्ध में अंचलाधिकारी के न्यायालय में अतिक्रमणवाद दायर करें और विभाग की जल श्रोतों एवं कार्यालय की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाय।

इस क्रम में आगे कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भी माननीय उच्च न्यायालय में वाद संख्या— सी०डब्लू०जे०सी०-9962/2015 में रामपुनीत चौधरी बनाम बिहार सरकार में सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को यह निदेश दिया था कि जल-श्रोतों को अतिक्रमण से मुक्त किया जाय (प्रति संलग्न)।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त विषय को गम्भीरता से लेते हुए सभी जल-श्रोतों तथा कार्यालय भूमि के अतिक्रमण को शीघ्र चिन्हित कर अंचलाधिकारी के कार्यालय में अतिक्रमणवाद दायर करें। कृत कार्रवाई की सूचना Control Room को दैनिक रूप से दें।
अनु०— यथोक्त।

विश्वासभाजन

(के०के० पाठक)
प्रधान सचिव।

email

पत्रांक-6/खा0 म0 पटना (मु0)- 15/16

884 (6)/रा0.

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

अत्यावश्यक
उच्च न्यायालय
का मामला

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

FAX
E-mail ✓

पटना-15, दिनांक- 22-08-16

विषय :- आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015-30 के क्रियान्वयन के क्रम में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सार्वजनिक जल निकायो (Water Bodies) यथा, पोखर, मन, झील, आहर, पर्ईन, नहर, नाला, जल निरसरण संरचनाओं एवं नदी आदि के अतिक्रमण मुक्त करने हेतु "अभियान जल निकाय संरक्षण" संचालन के संबंध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय का पत्रांक-855(6), दिनांक-16.08.2016 एवं महाधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय के कार्यालय का पत्रांक-5678, दिनांक-08.08.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रासंगिक पत्र का संदर्भ लिया जाय, जिसके द्वारा अभियान चलाकर सभी सार्वजनिक जल श्रोतों को चिह्नित करने, उसे जिले के वेब-साईट पर अपलोड करने, वैसे जल श्रोतों के अतिक्रमण को चिह्नित करने एवं उसे बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 (यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के आलोक में अतिक्रमण से मुक्त कराने का आदेश दिया गया था।

2. अवगत हो कि श्री ललित किशोर, प्रधान अपर महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, पटना से प्राप्त सूचनानुसार इसी बीच माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-9962/2015 रामपुनीत चौधरी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया है, जिसमें सार्वजनिक जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अनुरोध किया गया है। इस वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-02.08.2016 को सुनवाई करते हुए निम्न बिन्दुओं पर सूचना दिनांक-22.08.2016 तक उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है :-

"(i) How many government public water bodies are there in each district of Bihar ?

(ii) They are encroached (manmade) or encroachment free ?

(iii) If there are encroachment, nature of encroachment, steps taken/steps to taken/action taken for removal of encroachment by the authorities concerned."

3. अवगत होंगे कि दिनांक-15.07.2016 को सम्पन्न राज्य स्तरीय अपर समाहर्ताओं की बैठक में विभागीय प्रासंगिक पत्र में अंकित विभिन्न बिन्दुओं की समीक्षा विस्तार से की गयी एवं अपर समाहर्ताओं को निदेशित किया गया कि वे विभागीय प्रासंगिक पत्र के संलग्न प्रपत्र-1, II एवं


III में सूचनाएं एकत्रित कर जिला के वेब-साईट पर प्रदर्शित करें, लेकिन अभीतक किसी भी जिला के द्वारा विहित प्रपत्र में सूचनाएं जिला के वेब-साईट पर अपलोड नहीं किया गया है।

पुनः दिनांक-29.08.2016 को राज्य स्तरीय अपर समाहर्ताओं की बैठक विभाग के स्तर पर आयोजित होना निर्धारित है जिसमें उक्त बिन्दुओं की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।

4. अतः श्री ललित किशोर, प्रधान अपर महाधिवक्ता से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषय की गंभीरता को देखते हुए विभागीय प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र-I, II एवं III में अतिक्रमण के स्वरूप के साथ ही विस्तृत सूचनाएं जिला के वेब-साईट पर अविलम्ब अपलोड कराने की आवश्यक व्यवस्था की जाय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मांगी गयी सभी सूचनाएं शीघ्र उपलब्ध करायी जाय ताकि माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र के माध्यम से सूचनाएँ दी जा सकें। कृपया इसे अत्यावश्यक समझें।

अनु०-यथा-उपरोक्त।

विश्वासभाजन,


(व्यास जी)
प्रधान सचिव।

